न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ब्रह्मलाल जाट (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 35/2022 – निगरानी

ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत पालड़ी

–निगराकार

बनाम

1. श्रीमती सिम्पल पत्नी सुमित जागेटिया निवासी 1–बी–12–13, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश 10.11.2017, पट्टा संख्या 12, तारीख आदेश तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा

उपस्थित –

1. श्री गणेश जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 30.11.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी के द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को विधि विरुद्व पंचायत की बेशकीमती आबादी भूमि का पट्टा जारी करने के कारण पंचायत को लाखों रूपयों की हानि होने से निगकाराकार के द्वारा यह निगरानी तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किये गये पट्टों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि पंचायत अधिनियम के नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने की पालना नही की गई है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालडी एवं सचिव के द्वारा गैरनिगराकार सं. 01 को जो पट्टा पुरानेगृहों का विनियमितिकरण का नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है, वह पूर्ण रूप से विधि के

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पटटे नियम 157 (1) पुराने गृहों के विनियमितीकरण के तहत पटटा संख्या 12 क्षैत्रफल 2530.50 वर्गफीट एवं पटटा संख्या 11 क्षैत्रफल 2595.22 वर्गफीट कुल 5125.72 वर्गफीट भूमि का पटटे जारी किये गये और दोनों ही पटटे एक ही दिनांक 10.11.2017 को जारी किये गये जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों के विरूद्व जारी किये गये हैं। निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार की जाकर पटटा संख्या 12 दिनांक 10.11.2017 को अपास्त किया जावे।

गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार को उक्त निगरानी पेश करने हेतु धारा 97 के अन्तर्गत कोई लोकस स्टैण्डाई नही हैं। ग्राम पंचायत ने विधि तौर उक्त प्रश्नगत पटटा जारी किया हैं। अब स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा ही उक्त पटटे को खारिज करने की निगरानी पेश की गयी है जो विधि तौर गलत हैं। ग्राम पंचायत को उक्त पटटे के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उन्हें धारा 61 के तहत अपील करनी चाहिये थी, न की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत करनी थी। इसलिए निगराकार की निगरानी आधारहीन एवं विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य ठहरती हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज की जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि ग्राम पंचायत पालडी ने गैर निगराकार संख्या 01 को 2530.50 वर्गफीट का जो प्रश्नगत पटटा संख्या 12 दिनांक 10.11.2017 को जारी किया हैं, उसी दिन ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 01 की सास को 2595.22 वर्गफीट का पटटा संख्या 11 दिनांक 10.11.2017 को जारी किया हुआ हैं, जिनका कुल क्षैत्रफल 2530.50 + 2595.22 = 5125.72 वर्गफीट का होता हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत पालडी ने एक ही परिवार को कुल 5125.72 वंर्गफीट का पटटा जारी किया गया, जबकि ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत 300 वर्गगज यानि 2700 वर्गफीट तक का ही पटटा जारी करने का क्षैत्राधिकार हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत पालड़ी द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के नियमों की स्पष्ट उल्लघंना किया जाना प्रतीत होता हैं।

निगराकार ने निगरानी मेमों में एवं बहस के दौरान बताया कि प्रश्नगत पटटे की भूमि पर मौके पर खाली भूखण्ड हैं। खाली भूखण्डों के संबंध में गैर

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने कोई खण्डन नहीं किया एवं न ही प्रश्नगत पटटे पर कोई मकानात बने होने बाबत् कोई दस्तावेजात पेश किये हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरूद्व तरीके से जो पट्टा संख्या 12 दिनांक 10.11.2017 जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टा को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत पालडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 10.11.2017 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा एवं ग्राम पंचायत पालडी पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा